

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-२/शि०स्था०-६०-०९/१७

1666
30.06.17

::आदेश::

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक (मैट्रिक) सहायक शिक्षकों को स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय से स्थानांतरित करते हुए उसी रूप में उनके नाम के सामने स्तम्भ-५ में अंकित आवासीय विद्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम संख्या	प्राथमिक (मैट्रिक) सहायक शिक्षक का नाम	गृह जिला	पूर्व पदस्थापित विद्यालय	नवपदस्थापित विद्यालय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गीता कुमारी	पटना	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, पिपलावाँ, पटना।	रा० अं० आ० बालिका उ० विद्यालय, आरा।	
2	श्री श्याम नारायण सिंह	वैशाली	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर।	रा० अं० आ० उ० उच्च विद्यालय, चौतरवाँ, प० चंपारण।	
3	श्री वीरेन्द्र कुमार मेहता	पलामू	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, आमस, गया।	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, डुमरिया गया।	
4	श्री राम प्रसाद साह	पटना	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, मटिहानी, गया।	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, रजौली, नवादा।	
5	श्री प्रमोद प्रसाद	पटना	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, बजीरगंज, गया।	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, सिरदला, नवादा।	
6	श्रीमती सरिता कुमारी	सीतामढ़ी	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, मानपुर, गया।	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, गया टाउन, गया।	
7	श्रीमती उषा कुमारी	नालंदा	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, मानपुर, गया।	रा० अं० आ० बालिका उ० विद्यालय, नवादा।	
8	श्री विनोद कुमार चौरसिया	औरंगाबाद	रा० अं० आ० प्रा० बालिका विद्यालय, मोहनपुर, गया।	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, सासाराम।	
9	श्री राजकिशोर सिंह	छपरा	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, चौतरवाँ, प० चंपारण।	रा० अं० आ० बालिका उ० विद्यालय, सिवान।	अभ्यावेदन के आधार पर
10	श्री शिवजी राय	सारण	रा० अनु० जनजाति आ० उच्च विद्यालय, चौतरवाँ, प० चंपारण।	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, रामचक, सारण।	अभ्यावेदन के आधार पर
11	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	छपरा	रा० अं० आ० उ० विद्यालय, सुगाँव, प० चंपारण।	रा० अं० आ० प्रा० विद्यालय, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर।	अभ्यावेदन के आधार पर

[Handwritten Signature]
30/6/17

12	श्री विद्यानन्द पासवान	पटना	रा० अ० आ० उ० विद्यालय, बड़गाँव, कैमूर।	रा० अ० आ० बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद।	अभ्यावेदन के आधार पर
13	श्री श्याम नारायण चौधरी	सिवान	रा० अनु० जनजाति आ० उच्च विद्यालय, चौतरवां, प० चंपारण।	रा० अ० आ० उ० विद्यालय, रामचक, सारण।	अभ्यावेदन के आधार पर

2. क्रमांक- 9, 10, 11, 12 एवं 13 में अंकित शिक्षकों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. सभी स्थानांतरित/नवपदस्थापित प्राथमिक (मैट्रिक) सहायक शिक्षकों को दिनांक-15.07.2017 तक पदस्थापित विद्यालयों में योगदान हेतु विरमित कर दें अन्यथा दिनांक-16.07.2017 से वे स्वतः विरमित समझे जाएँगे। माह जुलाई 2017 का वेतन नवपदस्थापित जिला से प्राप्त करेंगे।

4. स्थानांतरण आदेश का अनुपालन संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक
30/6/17

ज्ञापांक-सं० सं०-2/शि०स्था/17-1666

पटना, दिनांक-30.06.17

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ सभी प्रधानाध्यापक एवं सभी संबंधित प्राथमिक (मैट्रिक) सहायक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
30/6/17